कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 848 राँची, दिनांक :– 17/8/2023

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– **सी0सी0एल0 के मगध ओ0सी0पी फेज–2 हेतु 192.36 हे0 (वन भूमि– 57.29 हे0 एवं जंगल झाड़ी भूमि– 135.07 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/87235/2010) के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, न्यू दिल्ली के पत्रांक 8–27/2022–FC दिनांक 28.04.2023
2. क्षेत्रीय मुख्य वन सरंक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1785 दिनांक 20.07.2023 एवं 1787 दिनांक 20.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा सी0सी0एल0 के मगध ओ0सी0पी फेज–2 हेतु 192.36 हे0 (वन भूमि– 57.29 हे0 एवं जंगल झाड़ी भूमि– 135.07 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में 14 बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन आपके कार्यालय पत्रांक 1785 दिनांक 20.07.2023 एवं 1787 दिनांक 20.07.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त निराकरण प्रतिवेदन में निम्नवत् बिन्दुओं पर कमियाँ पायी गई है :–

(i) भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.04.2023 के द्वारा की गई पृच्छा सं0– 8 के निराकरण में Time period of violation प्रतिवेदित नहीं है।

(ii) पृच्छा सं0– 10 के निराकरण में Detail report including nature of violation एवं Chronology अप्राप्त है।

(iii) पृच्छा सं0– 11 एवं 13 का प्राप्त निराकरण अपूर्ण है। इस संदर्भ में सक्षम स्तर से Approved Wildlife Management Plan की प्रति अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित निराकरण प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक – 848 दिनांक – 17/8/2023

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/23

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

16-8